

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बने डिप्ट व भूअनि. बने डिप्ट की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा तहसीलदार की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 147 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं - देवीलाल शि शर्मा जीय

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>डीली</u>	<u>147</u>	<u>M. A. S. B. शाख</u> <u>दरी</u>	<u>R. S. B. शाख</u> <u>दरी</u>

5/

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

रेलमगरा

दिनांक - 3/10/25

क्रमांक - 1/11/2025/82

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री देवीलाल शि शर्मा जीय
3. रक्षित पत्रावली। देवीलाल शि शर्मा जीय का सूचनार्थ।

5/

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

रेलमगरा